राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1549/2025 कंचन बनाम छोटूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दिनांक 18/03/2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर अपील के इस स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य गृहण किया जाना उचित प्रतीत नही होता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के माध्यम से अतिरिक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होने से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी ख़ारिज किया जाता है । तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली के गुणावगुण पर सुनी गयी । पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/04/2026 को पेश हो । राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
06/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1, 1/1 लगा. 1/5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/07/2025 पारित करते हुये तहसीलदार आंधी को ग्राम नेवर, पटवार हल्का नेवर, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 246/2 रकबा 0.346 हैक्टयर, खसरा नम्बर 46/2 रकबा 1.9220 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.3256 हैक्टेयर के सम्बन्ध में उभयपक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक़ व हिस्से एवं कब्जे को मध्य-नजर रखते हुये मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स अर्थात सरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये । जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11/09/2025 पारित कर दिया गया । जिससे व्यथित होकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11/09/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है । जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**कंचन बनाम छोटूराम** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1549/2025	

निर्णय व डिक्री के माध्यम से पक्षकारान/सहखातेदार के मध्य प्रश्नगत भूमि का किया गया विभाजन न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अपील के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा उठाई गयी आपत्तियां उचित प्रतीत नही होती है, ऐसेमें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है |

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11/09/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर